न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
74 / 2023	18.8.2023	31.10.2025

सुरेश चन्द पुत्र कुन्जबिहारी, मीना नि0 टोकरी तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र कुन्जबिहारी, मीना निवासी टोकरी तहसील गंगापुर सिटी
2. रमेशी उर्फ रामेश्वरी पुत्री कुन्जबिहारी पत्नि जगदीश प्रसाद, मीना निवासी ग्राम गांगरोल तहसील बौंली हालवासी प्लाट नं0 3 शुभम रेजीडेन्सी, सोगरिया रोड, कोटा। पिन कोड—324002 मो0नं0 6308083080
3. सुरेशी पुत्री कुन्जबिहारी पत्नि रामदयाल, मीना निवासी पट्टी मोहल्ला ग्राम नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम हालवासी प्लाट नं0 87 आनन्दविहार रेल्वे कोलोनी, खण्डेलवाल जनरल स्टोर के पास, जगतपुरा जयपुर पिन कोड नं0 302017 मो0नं0 9414176622
4. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा टोकरी जरिए प्रबन्धक
5. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा सालोदा औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तह0गंगापुर सिटी——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक खातेदारी,
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही पूर्वज कुंजबिहारी पुत्र किशनलाल की सन्तानें हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 रमेश की सगी बहनें हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की शादी कुंजबिहारी ने अपने जीवनकाल में ही कर दी थी। शादी के बाद से प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 अपने ससुराल में रह रही हैं। इनका वादग्रस्त कृषि भूमि/सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 शिड्यूलट्राइब्स के व्यक्ति हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 सब कालम 2 के मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के कोई भी प्रोवीजन शिड्यूलट्राइब्स के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। शिड्यूल ट्राइब्स में पिता की मौजूदगी में शादीशुदा पुत्रियों को पिता की चल अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा पिता के मरने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

भाईयों की मौजूदगी में शादीशुदा बहनों को विरासत में कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यदि भाई नहीं है तब विरासत विधवा पत्नि के हक में दर्ज की जावेगी। विधवा मां की मौजूदगी में पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी के पिता कुंजबिहारी के मरने के बाद उसकी विरासत में गलत रूप से प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 का नाम भी दर्ज कर दिया जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 रमेश की मौजूदगी में उनकी बहनें प्रतिवादिया संख्या 2 व3 को कुंजबिहारी की विरासत में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से बिना किसी अधिकार के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विरासत में प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 का भी नाम दर्ज कर दिया। वादी ने के0सी0सी0 लेने के लिए जमाबंदी निकलवाई तब वादी को इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो वादी ने अपनी बहनों प्रति0 संख्या 2 व 3 को इस बारे में बताया तब प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 ने वादी से कहा हमारी नियत खराब नहीं है, जैसे ही हमें फुर्सत मिलेगी, हम तहसील में चलकर दुरूस्ती करवा देंगी। वादी के बार बार कहने पर प्रतिवादिया यही आश्वासन देती रही लेकिन दिनांक 20.3.2023 को वादी ने उनसे तहसील में चलकर दुरूस्ती करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया तथा भूमि को दीगर जगह रहन बय करने की धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 डिक्री किया जाकर ग्राम टोकसी में स्थित भूमि ख0नं0 1673 रकबा 1.59 है0, ख0नं0 389 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 390 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 734 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 743 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 744 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 808 रकबा 2.22 है0 में से प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 का नाम हजफ फरमाया जाकर समस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा बराबर 1/2, 1/2 का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि को दीगर जगह रहन बय नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 दिनांक 6.9.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से दि[illegible]1.10.2023 की ओर से अभिभाषण पत्र प्रस्तुत हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को वाद पत्र का जबाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए परन्तु इनके द्वारा वाद पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप दिनांक 5.3.2025 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का जबाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया। तत्पश्चात् दि0 21.7.2025

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में "no instruction" किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 477 प्रदर्श–1, प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 खाता संख्या 23, 24 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग सं0 2039 प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी सुरेशचन्द पी0डब्लू0 1, बयान गवाह श्योराम पुत्र मदन माली पी0डब्लू0 2 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता कुंजबिहारी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता की मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतियादी संख्या 1, 2, 3 के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.11.2010 खोला गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ही प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम यह नामान्तरकरण दर्ज किया जो विधि विरूद्ध है । यह नामान्तरकरण केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज होना चाहिए था क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य हैं जिसके कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विरासत के प्रावधान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 पर लागू नहीं होते हैं। विधि अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग की विवाहित महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हजफ किया जावें। अपने कथन के समर्थन में वादी के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी.(1) सुप्रीम कोर्ट पेज 137, आर.आर.टी. 2023(1) राजस्थान पेज 223, आर.आर.टी. 2012(1) राजस्थान पेज 431, आर.आर.टी. 2011(2) राजस्थान पेज 765, आर.आर.डी. 2006 पेज 464, आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर.डी. 1966 पेज 71, निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय [illegible] सिवि[illegible] नम्बर 4980/2017 उनवानी नावन्ग वगैरा बनाम बहादुर वगैरा नि[illegible]0.2023 प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया। नकल जमाबंदी संवत 2059–2062 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत

[illegible] /
[illegible]ण्ड अधिकारी
[illegible]पुर सिटी (राज०)

2067—2070 प्रदर्श—6 एवं प्रदर्श 7 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता कुंज बिहारी की खातेदारी की भूमि रही है। नकल जमाबंदी प्रदर्श—6 एवं प्रदर्श—7 में अंकित नोट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 23.11.2010 के अनुसार यह भूमि विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम दर्ज हुई है। वादी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों में यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा (2) के अनुसार यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियो पर लागू नही होता है एवं पुत्रियां अपने पिता की सम्पत्ति में किसी अधिकार का दावा नही कर सकती है। वादी के पिता कुंज बिहारी की जमीन की जो विरासत खोली गयी है। उसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि कुंज बिहारी की पुत्रियां है के नाम भी भूमि दर्ज की गयी है। इन न्यायिक निर्णयों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम विरासत नही आनी चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं ग्राम टोकसी में स्थित भूमि ख0नं0 1673 रकबा 1.59 है0, ख0नं0 389 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 390 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 734 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 743 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 744 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 808 रकबा 2.22 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हजफ करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

सुरेश चन्द पुत्र कुन्जबिहारी, मीना नि0 टोकसी तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र कुन्जबिहारी, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. रमेशी उर्फ रामेश्वरी पुत्री कुन्जबिहारी पत्नि जगदीश प्रसाद, मीना निवासी ग्राम मांगरोल तहसील बौंली हालवासी प्लाट नं0 3 शुभम रेजीडेन्सी, सोगरिया रोड, कोटा। पिन कोड—324002 मो0नं0 6308083080
3. सुरेशी पुत्री कुन्जबिहारी पत्नि रामदयाल, मीना निवासी पट्टी मोहल्ला ग्राम नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम हालवासी प्लाट नं0 87 आनन्दबिहार रेल्वे कोलोनी, खण्डेलवाल जनरल स्टोर के पास, जगतपुरा जयपुर पिन कोड नं0 302017 मो0नं0 9414176622
4. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा टोकसी जरिए प्रबन्धक
5. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा सालोदा औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तह0गंगापुर सिटी—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक खातेदारी,
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —74/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मो. इस्लाम एडवोकेट, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ...., मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं ग्राम टोकसी में स्थित भूमि ख0नं0 1673 रकबा 1.59 है0, ख0नं0 389 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 390 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 734 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 743 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 744 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 808 रकबा 2.22 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या [illegible] का नाम हजफ करने का आदेश दिया जाता है। इसी [illegible] में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.10.2025 को [illegible] किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)